संख्या- 08 /2019 / 4033/चार-2018 -105 (वि0)/ 2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतरत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी की 95वीं जयन्ती के महोत्सव के आयोजन हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान के पत्र संख्या-708 दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मा0 अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट शासन को अवलोकित करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण , बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निदेशक, संस्कृति निदेशालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान द्वारा कराया जा रहा है। अत: निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान द्वारा कराये गये सांस्कृतिक समारोह से सम्बन्धित भुगतान की कार्यवाही निदेशक, संस्कृति द्वारा करायी जायेगी तथा भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में उ0प्र0 राज्य ललित कला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

अकादमी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी एवं उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी द्वारा कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी भुगतान की कार्यवाही स्वीकृति धनराशि से सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति- 101-ललित कला शिक्षा-800- अन्य व्यय-17- मा0 अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन -42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-1194 /दस-2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- /2019/ 4033 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान , अयोध्या फैजाबाद।
6- सचिव, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी एवं सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।